8

सामाजिक क्षेत्र

विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि एवं जनता की भलाई के साथ मानव विकास है। किसी भी विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण

8.2 हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछडे वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतः वचनबद्व है तथा इनके सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतू विभिन्न योजनायें लागू की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

8.3 यह योजना राज्य की बालिकाओं को सम्मान प्रदान करने के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों की विभिन्न श्रेणियों को 31,000 रूपये से 71,000 रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जैसेः– (i) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ और निराश्रितों जिनके परिवार की आय 1.80 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम है कि बेटी के विवाह के लिए 51,000 रूपये (ii) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एस.सी./एस.टी. परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 71,000 रूपये (iii) खिलाडी महिलाओं की शादी के लिए 31,000 रूपये (किसी भी जाति/किसी भी आय वर्ग) (iv) अनुसूचित जाति के अलावा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी वर्गों के समाज की बेटी की शादी के लिए 31,000 रूपये तथा (अनुसूचित जाति/पिछडा वर्ग सहित) जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रूपये से कम है (v) दिव्यांगजन के विवाह के लिए 51,000 रूपये यदि पति या पत्नी दोनों विकलांग हैं और 31,000 रूपये दिव्यांगजन के लिए यदि पति या पत्नी में से कोई एक विकलांग है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 27,013 शदियां करवाने में 10,077.41 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान दिनांक 31–12–2022 तक कुल 18,000 लाख रूपये का प्रावधान किया गया जिसमें से 25,009 विवाह के लिए 11,588.93 लाख रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

डा. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना

8.4 डा. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों को उनके घर की मरम्मत के लिये 80,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2021–22 के दौरान 4,832.90 लाख रुपये की राशि 7,288 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी हैं। वर्ष 2022–23 के लिये 10,000 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 8,838 लाभार्थियों पर 7,159.90 लाख रुपये की राशि 31–12–2022 तक खर्च की जा चुकी है।

डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना

8.5 अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत 11वीं, स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष तक छात्रवृत्ति के लिए 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। पिछडे

वर्ग के छात्रों तथा अन्य वर्गों के छात्रों को भी 10वीं कक्षा में प्रतिशतता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान ही जाती है। वर्ष 2021–22 में इस योजना के अन्तर्गत 2,510.44 लाख रुपये की राशि 31,310 छात्रों पर खर्च की जा चुकी है तथा वर्ष 2022–23 के दौरान 5,000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा 2,388.57 लाख रुपये की राशि, 27,270 छात्रों पर 31–12–2022 तक खर्च की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री सामाजिक–समरसता अर्न्तजातीय विवाह शगुन योजना

8.6 मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अर्न्तजातीय विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के साथ विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। उन सभी मामलों में जहां एक गैर–अनुसूचित जाति के व्यक्ति की शादी एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा की जाती है, विवाहित जोड़े को 2.50 लाख रूपये का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें से 1.25 लाख रूपये जोडे के खाते में स्थानातंरित कर दिये जाते हैं और शेष राशि 1.25 लाख रूपये जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में 3 साल की लॉक इन अवधि के लिए जमा किया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 के दौरान 906 विवाहित जोड़ों पर 2,103.25 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2022–23 के लिए 3,600 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से दिनांक 31–12–2022 तक 1,315 विवाहित जोड़ों पर 3,187.10 लाख रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

उम्मीदवारों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना

8.7 अनुसूचित जाति एंव पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से सिविल सेवायें परीक्षा, बैंकिंग/रेलवे/एस.एस.सी./एच.टी.ई.टी. एवं एन.ई.ई.टी./जे.ई.ई. आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उच्च प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा जिनकी आय सीमा 2.50 लाख रूपये तक है। वर्ष 2021–22 व 2022–23 में 2,000 लाख रूपये की राशि के बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिनांक 31–12–2022 तक कोई भी खर्चा नहीं किया गया है।

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

8.8 भारत सरकार की अनुसूचित जाति के छात्रों हेतू पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 2,500 रूपये प्रतिमास से 13,500 रूपये प्रतिमास छात्रवृत्ति के अतिरिक्त सभी नॉन–रिफण्डेबल फीसें प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत माता पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रूपये है। वर्ष 2021–22 में 9,888.50 लाख रुपये की राशि 50,735 लाभार्थियों पर खर्च की गई थी। वर्ष 2022–23 के दौरान 27,150 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 6,094.76 लाख रुपये की राशि 49,109 छात्रों पर 31–12–2022 तक खर्च की जा चुकी है।

पिछडे वर्गों के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

8.9 भारत सरकार द्वारा "अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों हेतू पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत 160 रूपये प्रतिमास से 750 रूपये प्रतिमास छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2021–22 में 1,401.49 लाख रुपये की राशि 31,352 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2022–23 के दौरान 9,400 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 616.40 लाख रुपये की राशि 16,161 छात्रों पर 31–12–2022 तक खर्च की ज चुकी है। सभी प्रमुख योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु आनॅलाईन मोड से लाभार्थियों को फंड वितरण किया जा रहा है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

8.10 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना है। निगम इस समय तीन प्रकार की स्कीमों नामतः बैंक टाई–अप योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.ए.फ.डी.सी.) सहयोग योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना का परिचालन कर रहा है।

8.11 भारत सरकार की निर्देशानुसार, निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को जिनकी वर्तमान में वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 49,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 60,000 रुपये तक हो तथा उसका नाम बी.पी.एल. सर्वे लिस्ट में हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसे भैंस पालन, भेड़ पालन, पशु चालित गाड़ियां, चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, करियाना की दुकान, आटा चक्की, बढ़ईगिरी, साइबर कैफे, फोटोग्राफी, ऑटो–रिक्शा आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही (एच.एस. ए.एफ.डी.सी.) योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के आवेदकों की, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये तथा शेष 50 प्रतिशत आवेदकों की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वार्षिक पारिवारिक आय 1.50 लाख रूपये से 3 लाख रुपये तक हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए ऋण दिया जाता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी. योजनाओं के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है, पात्रता के लिए केवल व्यवसाय ही आधार है।

बैंक टाई–अप योजना

8.12 निगम बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही आय उपार्जन योजनाओं, जिनकी योजना लागत 1.50 लाख रुपये तक हो, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। इस योजना की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये) है व 10 प्रतिशत सीमान्त धन तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.13 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत निगम द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.एफ.डी. सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। हांलाकि, इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक होता है। एन.एस.एफ.डी.सी. के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अन्तर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। अनुदान राशि की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.14 निगम, एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस. के.एफ.डी.सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.के.एफ. डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। हालांकि इन योजनाओं के अन्तर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक का होता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी. के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अन्तर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। अनुदान राशि की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है।

वर्ष 2022–23 के लिए प्रस्ताव

8.15 निगम द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान 15,000 परिवारों को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के अन्तर्गत 14,994.30 लाख रुपये जिसमें 1,439 लाख रूपये की अनुदान राशि शामिल है कि आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2022–23 की उपलब्धियां

8.16 निगम द्वारा वर्ष 2022–23 में 1,904 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार हेतु 1,510.42 लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई, जिसमें 118.86 लाख रूपये की अनुदान राशि शामिल है। वर्ष 2020–21 से 2022–23 के लिए कार्यक्रम/योजनावार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ **तालिका 8.1** में दर्शायी गई है।

तालिका 8.1– वर्ष 2020–21 से 2022–23 के कार्यक्रम/योजनावार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ

क्षेत्र/स्कीम का नाम	2020–21		2021–22		2022–23 (अक्टूबर, 2022 तक)	
	भौतिक लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय (लाख रुपये)	भौतिक लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय (लाख रुपये)	भौतिक लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय (लाख रुपये)
1. कृषि एवं सहायक क्षेत्र						
क) पशुपालन	1143	651.05	1163	665.28	519	367.55
ख) मूर्गी पालन	–	–	–	–	–	–
ग) भेड़ पालन	36	28.70	60	54.60	23	21.30
घ) सुअर पालन	25	15.50	32	20.30	18	14.00
ड़) झोटा बुग्गी/ऊँट गाड़ी/रेडा खच्चर गाडी	4	2.90	3	2.70	1	0.50
च) मधुमक्खी पालन	–	–	–	–	–	–
2. औद्योगिक क्षेत्र	74	47.09	57	32.70	14	11.50
3. वाणिज्य एवं व्यापार क्षेत्र	946	700.87	915	748.69	511	473.82
4. व्यवसायिक एवं स्वरोजगार क्षेत्र			–	–	–	–
क) ब्यूटी पार्लर			1	0.50	–	–
ख) विद्युत चालित	–	–	–	–	4	5.50
ग) कानूनी पेशा	–	–	–	–	1	1.00
घ) फोटाग्राफी	–	–	–	–	–	–
5. एन.एस.एफ.डी.सी. से सहायता प्राप्त स्कीम	797	513.50	800.00	603.35	799	600.75
6. एन.एस.के.एफ.डी.सी. से सहायता प्राप्त स्कीम	34	37.45	37.00	39.55	14	14.05
कुल	**3059**	**1997.06**	**3068.00**	**2167.67**	**1904.00**	**1510.42**

स्त्रोतः– अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, हरियाणा।

हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

8.17 हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा हरियाणा के पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु भिन्न–भिन्न आय उपार्जन योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से सस्ते वार्षिक ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। पिछडे वर्गों, अल्प संख्यक समुदायों और विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थियों को वितरित ऋण के पिछले 3 वर्षों का विवरण **तालिका 8.2** में दिया गया है।

तालिका 8.2– पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग व्यक्तियों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति का विवरण

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	पिछडे वर्ग		अल्पसंख्यक समुदाय		विकलांग व्यक्ति		कुल	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
2021–22	998	7.68	523	4.86	1257	12.55	2778	25.09
2022–23 (अक्तूबर,2022 तक)	504	3.31	341	3.42	756	7.48	1601	14.21

स्त्रोत– पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना

8.18 ऐसे वृद्ध व्यक्ति, जो अपने साधनों से जीवनयापन करने में असमर्थ हों और वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सरंक्षण प्रदान करने के उद्धेश्य से प्रारम्भिक स्तर पर संयुक्त पंजाब के समय 01–04–1964 से वृद्धावस्था पैंशन योजना शुरू की गई थी। पैंशन की दर, जो योजना प्रारम्भ होने के समय 15 रूपये मासिक थी, जिसमें समय–समय पर बढ़ौतरी की गई। हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना 01–11–1966 से अपनाई गई और 2,382 लाभपात्रों को कुल 24,680 रुपये की राशि की पैंशन की अदायगी की गई। वर्ष 1987 में वृद्धावस्था पैंशन का उदारीकरण करते हुए 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 17–06–87 से 100 रुपये मासिक दर से पैंशन की अदायगी की गई थी।

8.19 राज्य सरकार द्वारा इस योजना का और उदारीकरण करते हुये ''वृद्धावस्था पैंशन योजना–1991'' प्रारम्भ की गई जिसे अब ''वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना'' का नाम दिया गया है। यह योजना 1 जुलाई, 1991 से चालू की गई जिसमें आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। योजना के तहत जो व्यक्ति पिछले 15 वर्षों से हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी है और सभी स्त्रोतों से उसकी/उसके पति या पत्नी की आय प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये, लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

8.20 इस योजना का उद्धेश्य जरूरतमंदों, विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों जैसे कृषि मज़दूर, ग्रामीण दस्तकार, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों के सदस्यों व लघु तथा मध्यमवर्गीय किसानों आदि को, वृद्धावस्था भत्ता का लाभ देना सुनिश्चित करना है। वर्ष 1991 से अक्तूबर, 1999 तक 100 रुपये मासिक दर से पैंशन दी जाती थी, जिसे समय–समय पर बढाया गया 01–01–2014 से 1,000 रुपये प्रतिमास पैंशन की गई थी और दिनांक 01–01–2015 से 1,200 रुपये पुनः दिनांक 01–01–2016 से 1,400 रुपये, दिनांक 01–11–2016 से 1,600 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है तथा दिनांक 01–11–2017 से 1,800 रुपये 01–11–2018 से 2,000 रूपये और 01–01–2020 से 2,250 प्रतिमास तथा 01–04–2021 से 2,500 रूपये प्रतिमास लाभपात्र की गई है। वर्ष 2021–22 में 5,159.46 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। वर्षवार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का विवरण **तालिका 8.3** में दिया गया है।

विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन

8.21 वर्ष 1980–81 में हरियाणा में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पैंशन योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्धेश्य ऐसी महिलाओं को जोकि स्वयं अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों तथा उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पैंशन की दर, जोकि योजना के प्रारम्भ में 50 रुपये प्रतिमास थी, जो कि समय–समय पर बढ़ाई

तालिका 8.3–विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों एवं व्यय की वर्षवार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना		विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना		दिव्यांगजन पैंशन योजना (30–11–2022 तक)	
	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा
2017–18	1512436	2965.55	666808	1305.77	151932	296.78
2018–19	1569616	3479.01	695455	1540.44	160433	352.94
2019–20	1701761	4007.17	734463	1714.69	171922	406.43
2020–21	1719939	4633.34	749736	2056.46	173566	486.77
2021–22	1262773	5159.46	804585	2261.03	184103	520.82
2022–23 (30–11–2022 तक)	1765554	3957.54	803127	1785.97	183062	404.92

स्त्रोत– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

गई। पैंशन की दर 01–01–2014 से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई। दिनांक 01–01–2015 से पैंशन 1,200 रुपये प्रतिमास की गई थी। दिनांक 01–01–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए पैंशन 1,400 रुपये, दिनांक 01–11–2016 से पैंशन 1,600 रुपये, दिनांक 01–11–2017 से 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये तथा दिनांक 01–01–2020 से 2,250 रुपये तथा दिनांक 01–04–2021 से 2500 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना का विवरण **तालिका 8.3** में दिया गया है।

दिव्यांगजन पैंशन योजना

8.22 दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1981–82 में हरियाणा दिव्यांगजन पैंशन योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना का उद्धेश्य ऐसे दिव्यांग, जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों और जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पैंशन की दरें, जो योजना के प्रारम्भ में 50 रुपये मासिक थी, में 01–11–1999 से बढ़ौतरी करते हुए 300 रुपये प्रतिमास की गई। सरकार द्वारा 100 प्रतिशत निःशक्त की पैंशन 01–01–2006 से बढ़ाकर 300 रुपये से 600 रुपये प्रतिमास की गई तथा 01–03–2009 से पैंशन की दरों में और बढौतरी करते हुए 60 प्रतिशत दिव्यांग की पैंशन 500 रुपये एवं 100 प्रतिशत दिव्यांग की पैंशन 750 रुपये प्रतिमास की गई है। 01–01–2014 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमास किया गया था। दिनांक 01–01–2015 में 1,200 प्रतिमास की दर से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढाते हुए पैंशन 1,400 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई थी। दिनांक 01–11–2016 से दरों को बढाते हुए पैंशन 1,600 रुपये तथा दिनांक 01–11–2017 से पैंशन 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये, दिनांक 01–01–2020 से 2,250 रुपये तथा दिनांक 01–04–2021 से 2,500 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार दिव्यांगजन पैंशन योजना के तहत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण **तालिका 8.3** में दिया गया है।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना

8.23 हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़की/लड़कियां है, के लिए दिनांक 01–01–2006 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई है। प्रारम्भ में 300 रुपये प्रतिमास प्रति परिवार पैंशन दी जाती थी। इस योजना के अन्तर्गत माता अथवा पिता के 45वें जन्मदिन से 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता है। माता अथवा पिता में से एक की मृत्यु होने पर जीवित माता या पिता को इस योजना का लाभ दिया जाता है। दिनांक 01–04–2007 से सरकार द्वारा पैंशन की दर में 300 रुपये से 500 रुपये की वृद्धि की गई तथा दिनांक 01–04–2014 से भत्ता की दर में वृद्धि करते हुए 1,000 रुपये प्रतिमास की गई थी। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 01–01–2015 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रतिमास प्रति लाभ पात्र किया गया था। दिनांक 01–01–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए भत्ता 1,400 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दिया गया है। दिनांक 01–11–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए पैंशन 1,600 तथा दिनांक 01–11–2017 से पैंशन 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये, दिनांक 01–01–2020 से 2,250 रुपये तथा दिनांक 01–04–2021 से 2,500 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण **तालिका 8.4** में दिया गया है।

तालिका 8.4–विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों एवं व्यय की वर्षवार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम		निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता	
	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा
2017–18	32718	62.77	205023	182.99
2018–19	37350	79.11	133739	251.70
2019–20	42486	96.76	144985	310.51
2020–21	28954	111.39	145865	354.77
2021–22	33787	92.84	163210	448.50
2022–23 (30–11–2022 तक)	34151	74.68	156924	355.58

स्त्रोत– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता योजना

8.24 यह राज्य सरकार की योजना है, इसके अन्तर्गत इस योजना के अनुसार विभिन्न कारणों से वंचित 21 वर्ष तक बच्चों को माता–पिता/सरंक्षक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के पात्रता मानदण्ड के अनुसार एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को जो 01–03–2009 से शुरू में 200 रुपये प्रतिमास प्रति बच्चा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2014 से 500 रुपये, दिनांक 01–11–2016 से 700 रुपये, दिनांक 01–11–2017 से 900 रुपये, दिनांक 01–11–2018 से 1,100 रुपये, दिनांक 01–01–2020 से 1,350 रुपये तथा दिनांक 01–04–2021 से 1,600 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण **तालिका 8.4** में दिया गया है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

8.25 यह केन्द्र प्रायोजित योजना है इस योजना के अन्तर्गत परिवार के मुख्य रूप से कमाने वाले मुखिया (पुरूष या महिला) सदस्य की मृत्यु 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के बीच होने पर एक मुश्त 20,000 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाते हैं यानि 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम इस योजना के तहत केवल बी.पी.एल. परिवारों को ही सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2022–23 में 9 करोड़ रुपये की राशि आंबटित की गई थी जिसमें से (30–11–2022 तक) 3.41 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है।

तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता

8.26 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2019 से तेजाब हमले से पीड़ित शरीर के किसी भी हिस्से की विकृति का सामना करने वाली महिलाओं तथा लड़कियों को संशक्त करने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना लागू की गई है। दिनांक 22 जनवरी, 2020 को इस योजना में पुरूष व ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया। हरियाणा राज्य में रहने वाला कोई भी पीडित इस योजना में वित्तीय लाभ के लिए पात्र है। वर्ष 2022–23 में 15 लाख रुपये की राशि आंबटित की गई जिसमें से (30–11–2022 तक) 8.55 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

रक्षा कर्मियो का कल्याण

8.27 राज्य सरकार देश के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई देश सेवा और उनके परिवारों द्वारा दिए गए सर्वोतम त्याग के एवज़ में इनके कल्याण के लिए वचनबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा शौर्य पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को, जो नकद राशि (युद्ध के दौरान और शान्ति के समय) उपलब्ध करवाई जा रही है उसे **तालिका 8.5** में दर्शाया गया है।

8.28 राज्य सरकार दिनांक 05–10–2007 से पूर्व के वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी प्रतिवर्ष शौर्य पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाती है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली राशि को **तालिका 8.6** में दर्शाया गया है।

8.29 राज्य सरकार द्वारा सभी सैनिकों के आश्रितों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि को **तालिका 8.7** में दर्शाया गया है।

8.30 राज्य सरकार द्वारा रक्षा बल कर्मियों के युद्ध सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को एक मुश्त नकद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है उसे **तालिका 8.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.5–शौर्य पुरस्कार विजेताओं को प्राप्त होने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	युद्ध के समय शौर्य पुरस्कार	एक मुश्त नकद पुरस्कार
1	परमवीर चक्र	2,00,00,000
2	महावीर चक्र	1,00,00,000
3	वीर चक्र	50,00,000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	21,00,000
5	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	10,00,000
शान्ति के समय शौर्य पुरस्कार		
1	अशोक चक्र	1,00,00,000
2	कीर्ति चक्र	51,00,000
3	शौर्य चक्र	31,00,000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	10,00,000
5	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	7,50,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.6–शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली वार्षिक पुरस्कार राशि

क्र.स.	शौर्य पुरस्कार	वार्षिक पुरस्कार (राशि रूपये में)
1	परमवीर चक्र	3,00,000
2	अशोक चक्र	2,50,000
3	महावीर चक्र	2,25,000
4	कीर्ति चक्र	1,75,000
5	वीर चक्र	1,25,000
6	शौर्य चक्र	1,00,000
7	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	50,000
8	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	30,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.7– रक्षा बल कर्मियों को वित्तीय सहायता

क्र. सं.	रक्षा बल कर्मियों के प्रकार	(राशि रूपये में)
1	भूतपूर्व सैनिक की विधवाओं को और 60 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी) द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत सैनिकों को और उनकी विधवाओं को वित्तीय सहायता	5,400 10,000
2	पैरा/टेट्रा होम प्लेजिक भूतपूर्व सैनिक (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,400
3	भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,400
4	अयोग्य भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,400

5	अन्धे हुए भूतपूर्व सैनिको को वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,400
6	आर.आई.एम.सी. को सहायता अनुदान तथा कैडेट/अगंरक्षक जिन्होंने एन.डी.ए./ओ.टी.ए./आई.एम.ए. नवल तथा वायु सेना अकादमी या अन्य राष्ट्रीय स्तर की रक्षा अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उन्हें वित्तीय सहायता	50,000 1,00,000
7	युद्ध में मारे गये सेना के सैनिकों की विधवाओं के आश्रितों को पारिवारिक पैंशन जो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर रहे है। (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,400

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.8–रक्षा बल कर्मियों के युद्ध सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार (राशि रूपये में)
1	सर्वोतम युद्ध सेवा मैडल	7,00,000
2	उत्तम युद्ध सेवा मैडल	4,00,000
3	युद्ध सेवा मैडल	2,00,000
4	परम विशिष्ट सेवा मैडल	6,50,000
5	अति विशिष्ट सेवा मैडल	3,25,000
6	विशिष्ट सेवा मैडल	1,25,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.9–रक्षा बल के सेना पदक विजेताओं को प्रोत्साहन पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार	वर्षिक पुरस्कार राशि
1	सेना मैडल, असाधारण सेवा/काम के प्रति निष्ठा के लिए जो पुरस्कार 31–03–2008 के बाद और 19–02–2014 से पहले दिया गया।	34,000	3,500
2	सेना मैडल, असाधारण सेवा/ काम के प्रति निष्ठा के लिए जो पुरस्कार 19–02–2014 के बाद दिया गया।	1,75,000	–

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.10–आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को मौद्रिक अनुदान/पैंशन

क्र.स.	पुरस्कार का नाम	राशि (रूपये में)
1	विक्टोरिया क्रॉस	15,000
2	मिलीटरी क्रॉस	10,000
3	मिलीटरी मैडल	5,000
4	इंडियन आर्डर आफ मैरिट	3,000
5	भारतीय असाधारण सेवा मैडल	2,000
6	मैंशन इन डिस्पैच (केवल आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार)	2,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.11– पैरा मिलिटरी फोरसिस और पुलिस कर्मियों के शौर्य पुरस्कार विजेताओं एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

क्र.स.	शौर्य पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि (रूपये में)
1	अशोक चक्र	17,00,000
2	कीर्ति चक्र	10,00,000
3	शौर्य चक्र	7,00,000
4	सेना मैडल (गलैंट्री)	3,50,000
5	पुलिस मैडल (गलैंट्री)	1,50,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.31 राज्य सरकार रक्षा बल कर्मियों को प्रोत्साहन स्वरूप सेना पदक उनके विशिष्ट सेवा/कार्य के प्रति सम्पर्ण के लिए प्रदान करती है जिसे **तालिका 8.9** में दर्शाया गया है।

8.32 राज्य सरकार द्वारा आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को मौद्रिक अनुदान/पैंशन दी जाती है जिसे **तालिका 8.10** में दर्शाया गया है।

8.33 राज्य सरकार पैरा मिलिटरी फोरसिस और पुलिस कर्मियों के शौर्य पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नगद पुरस्कार की राशि प्रदान करती है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली राशि को **तालिका 8.11** में दर्शाया गया है।

8.34 राज्य सरकार अनुगृह आधार पर रक्षा बलों के शहीदों के किसी एक आश्रित को द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सरकारी नौकरी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार उन शहीदों के आश्रितों को अनुगृह राशि भी प्रदान करती है।

8.35 यह अनुग्रह अनुदान राशि नीति/निर्देशों के तहत उन सभी युद्ध में घायल मामलों में जैसा कि रक्षा अधिकारियों द्वारा घोषित किया गया है चाहे आपरेशन कहीं भी हो अथवा आपरेशन का क्षेत्र भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ हो जो कि 24–03–2016 को अथवा उसके बाद हुआ हो। यह अनुग्रह अनुदान की राशि 50 लाख रुपये दी जाती है तथा विकंलाग्ता की स्थिति में, विकलांग्ता की प्रतिशतता के आधार पर 5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि दिनांक 08–11–2021 में उन निःशक्तों को प्रदान की जाती है जो युद्ध, आई.ई.डी., विस्फोट इत्यादि के कारण आपरेशन क्षेत्र अथवा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपरेशन का विशेष क्षेत्र में हुई हो। यह राशि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी।

8.36 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को अनुग्रह अनुदान भी प्रदान कर रहा है जो विषम परिस्थितियों में शहीद हुए अथवा युद्व परिचालन क्षेत्र में सेवा करते हुए अथवा आंतकवादी हमलों के कारण निःशक्त हुए है। अनुग्रह अनुदान राशि 50 लाख रुपये है तथा निःशक्ता की स्थिति में यह राशि 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक है जो प्राकृतिक आपदा, चुनाव, बचाव कार्य, आन्तरिक सुरक्षा आदि के दौरान निःशक्त हो जाते है।

8.37 राज्य सरकार एक लाख रूपये की पुरस्कार राशि वित्तीय सहायता के रूप में उन सैनिक छात्र/सज्जन सैनिक छात्रों को भी प्रदान करती है जो कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/भारतीय सैन्य अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी/नौ सेना और वायु सेना अकादमी या फिर किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की सैन्य अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण ग्रहण करते है।

- वर्ष 2022–23 के दौरान अनुकम्पा आधार पर सशस्त्र बलों/सी.ए.पी.एफ. कर्मिकों के शहीदों के परिजनों को कुल 8 नौकरियां दी गई हैं और अक्टूबर, 2014 से कुल 365 नौकरियां दी गई हैं।
- रक्षा/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पदक विजेताओं को विभाग नकद अनुदान की दरों में समानता लाएगा।
- विभाग 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदनों का निर्माण करेगा। एकीकृत परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना क्लीनिक (ई.सी.एच.एस.), कैन्टीन (सी.एस.डी.), लिफ्ट और रैम्प के साथ एक कामन हाल शामिल है।
- सशस्त्र बलों (रक्षा सेवाओं और अर्ध सैनिक सेवाओं) में अधिक अधिकारियों और पुरूषों को योगदान देने की दृष्टि से सैनिक एवं अर्ध सैनिक विभाग 20 करोड़ रूपये प्रत्येक की लागत से 2 सशस्त्र तैयारी संस्थान स्थापित करेगा। ए.एफ.पी.आई. मैट्रिक के बाद सम्भावित उम्मीदवारों का नामांकन करेंगे और उन्हें एन.डी.ए. के लिए तैयार करेंगे।

इसी तरह, ए.एफ.पी.आई. स्नातकों को सी.डी.एस., शार्ट सर्विस कमिशन, सी. आर.पी.एफ., बी.एस.एफ. आदि के लिए तैयार करने के लिए नामांकित करेंगे। प्रारम्भ में लगभग 100 बच्चों (मैट्रिक और स्नातक) का चयन किया जाएगा। ए.एफ.पी.आई. में प्रवेश खुली प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।

रोजगार

8.38 रोजगार विभाग बेरोजगार युवाओं को रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करवाकर उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करता है। नौकरी चाहने वालों को बातचीत, परामर्श और प्रशिक्षण के माध्यम से उपयोगी मार्ग दर्शन प्रदान करता है। निजी क्षेत्र में समायोजित करने के लिए नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों को एक मंच पर लाने के लिए नौकरी मेलों का आयोजन किया जाता है।

कॉल सैन्टर

8.39 प्रासंगिक रोजगारों के अवसरों के बारे में उम्मीदवारों को डेटा संवर्धन और सूचना प्रसार तक पहुंचाने के लिए 15–07–2020 से एक समर्पित काल सैन्टर भी स्थापित किया गया। हरियाणा के युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कॉल सैंटरों की स्थापना से 31–12–2022 तक 21,96,468 कॉलें की जा चुकी हैं।

8.40 रोजगार विभाग हरियाणा एक फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन के तहत हरियाणा के 50,000 मेधावी उम्मद्वारों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कर्मचारी चयन आयोग, निजी क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रेलवे के साथ–साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए निःशुल्क ऑनलाईन कोचिंग प्रदान कर रहा है।

शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना

8.41 हरियाणा सरकार हमारे युवाओं को गरिमा प्रदान करने और उन्हें लाभकारी कार्यों में रचानात्मक रूप से शामिल करने के महत्व को पहचानती है। तदानुसार सरकार ने हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर हरियाणा के पात्र स्नातकोत्तर युवाओं को 100 घंटे के मानद कार्य के रूप में बेरोजगारी भत्ता और मानदेय प्रदान करने के लिए 1 नवम्बर, 2016 को शिक्षित युवा भत्ता और मानेदय योजना–2016 शुरू की जिसे सक्षम युवा योजना के नाम से जाना जाता है। बाद में, राज्य के पंजीकृत विज्ञान, इन्जीनियरिंग, विज्ञान समकक्ष और वाणिज्य स्नातक, कला स्नातकों को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत अगस्त, 2019 से 10+2 पास आवेदकों को भी योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत स्नातकोत्तर, स्नातक और 10+2 आवेदकों को क्रमशः 3,000 रूपये, 1,500 रूपये तथा 900 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिये जाते हैं एवं 100 घंटे मानद कार्य के लिए 6,000 रूपये क्रमशः स्नात्कोत्तर, स्नात्तक और 10+2 पास आवेदकों को दिया जाता है। योजना के तहत वर्तमान में कुल 1,04,907 आवेदकों को अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक स्वीकृत किया जा चुका है। इसी अवधि के दौरान 17,326 सक्षम युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण दिया गया और कुल 3,673 सक्ष्म युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रखा गया है। इसी अवधि में 687.62 करोड़ रूपये और 336.77 करोड़ रूपये क्रमशः बेरोजगारी भत्ते एवं मानदेय के लिए वितरित किये जा चुके हैं।

रोजगार इच्छुकों की संख्या

8.42 31–12–2022 तक रोजगार के इच्छुक 6,79,232 प्रार्थियों ने विभाग की वेबसाईट www.hrex.gov.in के माध्यम से विभाग में अपना पंजीकरण करवाया और वर्ष अप्रैल 2021 से दिसम्बर, 2022 तक 34,554 प्रार्थियों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं।

रोजगार मेले/नियुक्ति के अवसर

8.43 रोजगार विभाग के निजी क्षेत्र में रोजगार के प्रचुर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य भर में प्रतिवर्ष 200 रोजगार मेलें

आयोजित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे जिला रोजगार कार्यालयों के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम दो रोजगार मेले या प्लेसमैंट ड्राइव आयोजित करना अनिवार्य हो गया। अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2022 की अवधि के दौरान कुल 24,798 बेरोजगार युवाओं को 784 मेलों/प्लेसमेंट ड्राईव के माध्यम से निजी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान की गई है। विभाग ने अपनी 8 सेवाओं को सरल पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। विभाग अपने पोर्टलों www.hrex.gov.in और www.hreyahs.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन सेवायें प्रदान कर रहा है।

8.44 विभाग सक्षम युवा योजना के अन्तर्गत नहीं आने वाले 10+2 या इससे ऊपर आवेदकों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना लागू करता है। अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2022 तक 12,581 आवेदकों को उनके आधार से जुडे बैंक खातों में बेरोजगारी भत्ते के रूप में कुल 24.54 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है।

व्यवसायिक मार्गदर्शन

8.45 व्यवसायिक मार्गदर्शन एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षित किया जाता है। अप्रैल, 2021 से नवम्बर, 2022 तक 1,572 कैरियर वार्ता के माध्यम से 66,997 आवेदकों को व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इन वार्ताओं से रोजगार के अवसरों की भी जानकारी मिलती है।

मॉडल कैरियर केन्द्र (एम.सी.सी.)

8.46 विभाग द्वारा जिला हिसार में वर्ष 2015 में एक मॉडल कैरियर केन्द्र स्थापित किया गया है जोकि 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। मॉडल कैरियर केन्द्र, हिसार ने एन.सी.एस. पोर्टल पर 2,186 नौकरी चाहने वालों को पंजीकृत किया है, 265 मनोवैज्ञानिक परीक्षण और 89 जॉब मेलों का आयोजन किया गया जिसमें 11,476 आवेदकों ने भाग लिया और उनमें से 910 आवेदक निजी क्षेत्र में समायोजित करवाये गये। मॉडल कैरियर केन्द्र, हिसार द्वारा विभिन्न कॉलेजों में 79 व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें कुल 4,088 आवेदको ने भाग लिया। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए विभाग का कुल बजट 988.26 करोड़ रूपये है।

श्रम कल्याण

8.47 श्रम विभाग का मुख्य कार्य राज्य में औद्योगिक शान्ति एवं सामंजस्य बनाए रखना तथा कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना है।

न्यूनतम मजदूरी

8.48 श्रमिकों के वेतन अधिकारों की रक्षा के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्व है। न्यूनतम मजदूरी की दरें समय–समय पर संशोधित की जाती है। राज्य में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम वेतन की दर दिनांक 01–01–2015 को 7,600 रूपये प्रतिमाह थी। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 01–07–2022 से श्रेणीवार अर्थात अकुशल, अर्धकुशल (ए), अर्धकुशल (बी), कुशल (ए), कुशल (बी) तथा अत्यधिक कुशल को क्रमशः 10,243.28 रुपये, 10,755.40 रुपये, 11,293.16 रुपये, 11,857.83 रुपये, 12,450.73 रुपये और 13,073.26 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किये गये हैं।

पंजाब दुकान एवं व्यवसायिक स्थापना एक्ट, 1958

8.49 राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों में बढौतरी हेतु सूचना एवं प्रोद्यौगिकी तथा इससे सम्बन्धित संस्थानों को पंजाब दुकानात एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य करने की छूट प्रदान करता है। यह छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को कार्य घंटों के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं यातायात के साधनों की पूर्ण उपलब्धता करवायेगा। इस अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत 01–01–2022 से 31–10–2022 तक 69 संस्थाओं में छूट प्रदान की गई जिससे 17,559 महिला श्रमिक लाभान्वित हुईं।

बेसहारा एवं प्रवासी बच्चों के लिये पुर्नवास केन्द्र

8.50 बेसहारा एवं प्रवासी बच्चों के लिये जिला पानीपत तथा यमुनानगर में दो पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना की गई थी। इन पुर्नवास केन्द्रो में प्रवासी व बेसहारा बच्चों को मुफ्त व्यवसायिक शिक्षा एवं खाने पीने की सुविधा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 90 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

8.51 आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच के किसी भी संगठित कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल किया जा सकता है। यह योजना 60 वर्ष की आयु होने पर 3 हजार रूपये की एक सुनिश्चित पैंशन प्रदान करेगी जोकि उनके कामकाजी उम्र के दौरान एक छोटी राशि के मासिक अंशदान पर होगी। जिसे दिनांक 07–02–2019 को अधिसूचित किया गया।

कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन

8.52 लघु उद्योगों को सुविधा देने के लिये हरियाणा सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को सरल बनाने हेतु संशोधन कर दिया है। हरियाणा कारखाना संशोधन अधिनियम, 2018 दिनांक 20–06–2020 को अधिसूचित किया गया। संशोधनानुसार विद्युत शक्ति के साथ 20 श्रमिकों से कम तथा विद्युत शक्ति के बिना 40 श्रमिकों से कम वाले कारखाने कारखाना अधिनियम, 1948 के दायरे में नहीं आयेंगे। इस संशोधन में ओवर टाईम कार्य का समय 75 घण्टे से 150 घण्टे बढ़ाने का प्रावधान है। संशोधन उद्योगों को और भी राहत देता है जैसे कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अदालत में मुकदमा चलाने की बजाय पहली बार किये गये अपराधों/ उल्लघंनाओं को कम्पाउंडिंग करने की सुविधा प्रदान करता है।

ईज ऑफ डूविंग बिजनेस (ई.ओ.डी.बी.)

8.53 श्रम विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा "ईज ऑफ डूविंग बिजनेस" में सुधार के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाये हैः–(1) सरकार ने निर्णय लिया है कि कारखाने की अपेक्षित ड्राईंग प्लान केवल ऑटोकैड/hrylabour.gov.in पर किसी भी संगत प्रारूप में में एच.ई.पी.सी. की एकल खिडकी प्रणाली के माध्यम से आनलाईन जमा की जायेगी। (2) सभी श्रम नियमों के तहत किये जाने वाले निरीक्षण, शिकायत आधारित निरीक्षणों को छोडकर जो कि पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली में उल्लेखित है उनको श्रम आयुक्त–सह–मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा स्वीकृत जांच सूची के अनुसार शक्ति से संचालित करवाया जायेगा। (3) मौजूदा नियमों का सरलीकरण एवं युक्तिकरण में सूचना प्रौधोगिकी का प्रयोग करते हुए शासन को अधिक कुशल और प्रावाही बनाने पर बल दिया गया है। (4) भारत सरकार की डी.आई.पी.पी. के अर्न्तगत व्यापार सुधार योजना–2016 की अनुपालना करते हुए श्रम विभाग ने सभी श्रम कानूनों के तहत आन–लाईन एकल वार्षिक रिर्टन भरने का भी निर्णय लिया है। (5) कारखाना नियम के तहत कारखाना योजनाओं के अनुमोदन के लिए हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" की पूर्व प्राप्ति प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।

अनिवार्य पंजीकरण

8.54 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण अधिनियम, 1996 की धारा–2(i) के तहत आने वाली सभी सरकारी संस्थाओं में कार्यरत निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे सभी सरकारी विभाग जो ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्य करवाते हैं उन सभी निर्माण कार्यों एवं कार्यरत निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करेंगे। श्रम विभाग ने इस सम्बन्ध में सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों एवं कुलपतियों को दिशा–निर्देश जारी किये है। वित्त विभाग से भी आग्रह किया गया है कि वह अपने सभी लेखा अधिकारियों को निर्देश दें कि वे सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत

पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्ति तथा सभी योग्य निर्माण श्रमिकों का लाभार्थी के तौर पर हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण होने उपरान्त ठेकेदारों के पहले बिल की अदायगी करेंगे।

नान–रैकरिंग योजना के तहत बजट

8.55 विभाग का वर्ष 2022–23 का नान–रैकरिंग स्वीकृत बजट 386.17 लाख रुपये था, जिसमें से 242.51 लाख रुपये (62.80 प्रतिशत) मार्च, 2022 तक खर्च किये जा चुके हैं। नान–रैकरिंग स्कीमों हेतू 2022–23 के लिए 13,963.80 लाख रूपये का बजट प्रावधान था जिसमें से 266.73 लाख रूपये 24–01–2023 तक खर्च किये जा चुके हैं।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड

8.56 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रमिकों के लिए 21 कल्याणकारी योजनाएं तथा 4 गतिविधियां/ पुरस्कार चलाये जा रहे हैं **(तालिका 8.12)** दिनांक 01–04–2022 से 31–01–2023 की अवधि के दौरान 1,04,813 श्रमिकों के लिए 79. 28 करोड़ रूपये की राशि तथा 20 श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार के लिए 12.18 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभों का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के लिए योगदानकर्ता श्रमिकों का सम्पूर्ण डाटा वेब–पोर्टल hrylabour.gov.in पर लिया जा रहा है। डी.बी.टी. के तहत आन–लाईन लाभ दिया जा रहा है। उर्पयुक्त के अतिरिक्त दिनांक 01–04–2022 से 31–01–2023 की अवधि के दौरान हरियाणा सीलिकोसिस पुर्नवास नीति के तहत 5.93 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

8.57 हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन भव एवं अन्य सन्निमार्ण अधिनियम, 1996 की धारा 18 के अन्तर्गत हुआ है और यह 02–11–2006 में अस्तित्व में आया। इस बोर्ड का मुख्य उद्वेश्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना है जैसे कि दुर्घटना होने पर तत्काल वित्तीय सहायता, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, सन्निर्माण की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं, बुढापा पैंशन, बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि एवं समय–समय पर तय की गई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन करना है। उपरोक्त नीति के तहत बोर्ड द्वारा 22 कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। **(तालिका 8.12)** वर्ष 2021–22 के लिए अनुमानित व्यय 205.95 करोड़ रूपये है जबकि वर्ष 2022–23 के लिए कुल अनुमानित व्यय 259.18 करोड़ रूपये है।

तालिका 8.12– कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों एवं व्यय की स्थिति

क्र सं.	विवरण	2021–22		2022–23 (31–01–2023 तक)	
		लाभार्थियों की संख्या	खर्च की गई राशि (करोड़ रूपये में)	लाभार्थियों की संख्या	खर्च की गई राशि (करोड़ रूपये में)
1	हरियाणा श्रम कल्याण द्वारा संचालित 21 कल्याणकारी योजनाएं	101765	80.20	104813	79.28
2	हरियाणा भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित 22 कल्याणकारी योजनाएं	243584	205.95	–	259.18

स्त्रोतः श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा।

खेल तथा युवा मामले

8.58 खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा का मुख्य दृष्टिकोण "खेल सबके लिए" है। विभाग के मूल उद्धेश्यों (1) खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना (2) खिलाडियों को प्रशिक्षण देना (3) कम उम्र से ही प्रतिभाशाली खिलाडियों की पहचान करना और उनका विकास करना (4) खिलाडियों के

लिए रोजगार के अवसर पैदा करना (5) विभिन्न युवा विकास कार्यक्रमों को लागू करना इत्यादि है। वर्ष 2022–23 के दौरान खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा के लिए 540.50 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

ब्राजील डेफलम्पिक्स–2021

8.59 हाल ही मे ब्राजील डेफलम्पिक्स–2021 मे भारतीय टीम में हरियाणा के 15 खिलाडियों ने हिस्सा लिया था। इन खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। हरियाणा सरकार ने उन्हें नकद पुरस्कार प्रदान किया इसके अलावा ब्राजील डेफलम्पिक्स–2021 के सभी पदक विजेताओं को हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार जॉब आफर लेटर भी दिया गया **(तालिका 8.13)**।

बर्मिघम राष्ट्रमंडल खेल–2022

8.60 हाल ही में बर्मिघम राष्ट्रमंडल खेल–2022 में कुल 210 खिलाडियों के भारतीय दल में हरियाणा के 42 खिलाडी शामिल थे। इन खिलाडियों को उनकी खेल उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल–2022 के सभी पदक विजेताओं को हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार जॉब लेटर भी दिया गया है **(तालिका 8.14)**।

पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार

8.61 हरियाणा के खिलाडियों ने अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लगभग 259 खिलाडियों को विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में उनकी उपलब्धियों के आधार पर 8.06 करोड़ रूपये के नकद पुरस्कार के रूप में वितरित किये गये। दिनांक 23–06–2022 को इन्द्रधनुष सभागार, पंचकूला में आयोजित सम्मान समारोह में भीम अवार्ड के तहत 52 खिलाड़ियों को 2.60 करोड़ की राशि भी प्रदान की गई। वर्ष 2022–23 के दौरान ओलम्पिक, एशियाई और राष्ट्रमण्डल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों के 7 कोचों को 84 लाख रूपये के कोच पुरस्कार के रूप में दिये गये है। खेलों इंडिया यूथ गेम्स पंचकूला–2022 के 611 खिलाड़ियों (पदक विजेताओं/प्रतिभागियों) को 2.05 करोड़ रूपयें के नकद पुरस्कार दिये गये।

खेलों इंडिया यूथ गेम्स–2021

8.62 खेलों इंडिया यूथ गेम्स–2021 का आयोजन हरियाणा द्वारा 4 से 13 जून, 2022 तक 25 खेलों (अंडर–18 लड़के और लड़कियों) के साथ पंचकूला, चण्डीगढ, अम्बाला, शाहाबाद और दिल्ली में किया गया था। इस प्रतियोगिता में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 8,500 खिलाड़ियों/अधिकारियों/सहयोगी स्टाफ ने भाग लिया था। कुल 903 पदकों में से हरियाणा राज्य ने विभिन्न खेलों में 137 पदक (52 गोल्ड, 39 रजत और 46 कांस्य) प्राप्त किये और सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता के लिए हरियाणा सरकार तथा भारत सरकार द्वारा क्रमशः 70 करोड़ रूपये और 20.67 करोड़ रूपये का बजट प्रदान किया गया था।

तालिका 8.13–पुरस्कारों का श्रेणीवार विवरण

उपलब्धियां	खिलाड़ी	खेल का नाम	नकद ईनाम	कुल
स्वर्ण पदक	रोहित भाकर	बैडमिटन	1.20 करोड़	4.80 करोड़
	महेश	बैडमिंटन		
	दीक्षा डागर	गोल्फ		
	सुमित दहिया	कुश्ती		
कांस्य पदक	वीरेन्द्र सिंह	कुश्ती	40.00 लाख	80.00 लाख
	अमित			
केवल प्रतिभागिता	9 खिलाड़ी		2.50 लाख	22.50 लाख़
कुल योग				**5.82 करोड़**

स्त्रोतः निदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा।

तालिकाः 8.14–नकद पुरस्कारों का श्रेणीवार विवरण

उपलब्धियां	खिलाडी	खेल का नाम	नकद ईनाम	कुल
स्वर्ण पदक	अमित पंघाल	बोक्सिंग (पुरूष)	1.50 करोड़	13.50 करोड़
	नीतू	बोक्सिंग (महिला)		
	सुधीर	भारोत्तोलन		
	रवि दहिया	कुश्ती (पुरूष)		
	बजरंग पूनिया			
	नवीन			
	दीपक पूनिया			
	विनेश फोगाट	कुश्ती (महिला)		
	साक्षी मलिक			
रजत पदक	अभिषेक	हॉकी (पुरूष)	75.00 लाख	3.75 करोड़
	सुरेन्द्र कुमार			
	सागर	बॉक्सिंग (पुरूष)		
	शैफाली वर्मा	क्रिकेट (महिला)		
	अंशु मलिक	कुश्ती (महिला)		
कांस्य पदक	संदीप	एथलीट (पैदल दौड)	50.00 लाख	7.50 करोड़
	जैसमीन	बॉक्सिंग (महिला)		
	ज्योति	हॉकी (महिला)		
	मोनिका			
	नवजोत कौर			
	नवनीत कौर			
	नेहा			
	निशा			
	सविता पूनिया			
	शर्मिला देवी			
	उदिता			
	मोहित	कुश्ती (पुरूष)		
	दीपक नेहरा			
	पूजा गहलोत	कुश्ती (महिला)		
	पूजा सिहाग			
चौथा स्थान	शर्मिला	एथलैटिक्स (पैरा–शाटपुट एफ–57)	15.00 लाख	15.00 लाख
केवल प्रतिभागिता	12 खिलाड़ी		7.50 लाख	90.00 लाख
			कुल योग	25.80 करोड़

स्त्रोतः निदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा।

राष्ट्रीय खेल–2022

8.63 हरियाणा ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में 115 पदक जीते। 38 स्वर्ण पदकों के साथ, इस बार हरियाणा के पदकों की संख्या किसी भी संस्करण में अब तक का सर्वाधिक है। पिछले राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने 107 पदक हासिल किये थे। सेवाओं ने राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, हालांकि, सेवाओं के 80 प्रतिशत से अधिक पदक विजेता मूलरूप से हरियाणा से हैं।

खेल/योग प्रतियोगिता

8.64 वर्ष 2022 के दौरान अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता के अन्तर्गत टेबल टेनिस, वालीबॉल, भारोत्तोलक, हाकी और कैरम प्रतियोगितायें जिला झज्जर, कुरूक्षेत्र, भिवानी, कैथल और पंचकूला में क्रमशः ट्रायल का आयोजन किया गया जिसमें 1.85 लाख रूपये खर्च किये गये। मास सितम्बर, 2022 में समस्त जनपदों में जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके लिए 13.64 लाख रूपये खर्च किये गये। जिला

रोहतक में दिनांक 15 से 17 एवं 20 से 22 सितम्बर, 2022 तक क्रमशः बालिकाओं एवं बालकों के लिए राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 1,188 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 20.80 लाख रूपये खर्च किये गये।

खेल संरचना/उपकरण

8.65 करनाल के कर्ण स्टेडियम में बैडमिंटन हॉल और बाक्सिंग हॉल के निर्माण के लिए 5 करोड, सिरसा के ग्राम सखता खेडा में स्टेडियम की चारदीवारी के निर्माण के लिए 30.26 लाख रूपये और हिसार के गांव खेड़ी जलाब में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 65.11 लाख रूपये की राशि वर्ष 2022–23 के दौरान स्वीकृत की गई है। पानीपत के ग्राम सिवाह, में नए खेल स्टेडियम के निर्माण हेतू 5 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है। सर छोटूराम स्टेडियम परिसर, रोहतक में आई.पी.बी. के फुटपाथ के लिए 19.58 लाख रूपये की राशि स्वीकृत कर जारी की गई है। गुरूग्राम के नेहरू स्टेडियम में मौजूदा हॉकी टर्फ उपलब्ध करवाने और बढ़ाने के लिए 7.79 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में खेलो इंडियां यूथ गेम्स तथा पुर्नवास केन्द्र के लिए खेल सामान की खरीद हेतू 19.92 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।

खेल नर्सरी/अकादमी

8.66 राज्य के नवोदित खिलाड़ियों को लाभ प्रदान करने के लिए खेल और युवा मामले विभाग ने राज्य भर में 1,100 खेल नर्सरी शुरू की हैं, इसमे से 500 नर्सरी विभागीय प्रशिक्षकों द्वारा चलाई जा रही है और शेष 600 नर्सरी खिलाड़ियों को उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों और निजी कोचिंग सेंटरों को आबंटित की जा रही हैं। इसके तहत 8 से 14 व 15 से 19 आयु वर्ग के इन खिलाड़ियों को क्रमशः 1,500 व 2,000 रूपये मासिक राशि दी जा रही है। प्रत्येक निजी नर्सरी के कोच को उसकी योग्यता के आधार पर 20,000 या 25,000 रूपये का मासिक मानदेय प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा विभिन्न खेलों में 10 दिवसीय बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमियों के सभी प्रशिक्षुओं को प्रतिदिन 400 रूपये प्रति खिलाड़ी की दर से दैनिक आहार दिया जाता है। सरकार ने प्रस्तावित किया है कि ओलम्पिक और अन्य अर्न्तराष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारी के लिए हरियाणा और शेष भारत के राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को आवासीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरियाणा खेल अकादमी तथा 200 बिस्तरों की क्षमता वाला एक खेल छात्रावास स्थापित किया जाना है।

युवा कार्यक्रम और साहसिक गतिविधियां

8.67 20 जून से 20 जुलाई, 2022 तक जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यशाला के आयोजन के लिए 22 जिलों को 16.50 लाख रूपये की राशि जारी की गई है, जिसमें से 1,100 प्रतिभागियों ने भाग लिया है (2) 25 से 26 जुलाई, 2022 तक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यशाला के आयोजन के लिए 22 जिलों को 4.66 लाख रूपये की राशि जारी की गई है (3) 9.05 लाख रूपये जिला/राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार और जिला/राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार के लिए 33 युवा/युवा मण्डलों को क्लब अवार्ड दिया गया (4) माह अक्टूबर, 2022 में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 41.30 लाख रूपये की राशि खर्च की गई इस प्रतियोगिता में 6,600 युवाओं ने भाग लिया था (5) युवा उत्सव का आयोजन दिनांक 20–12–2022 से 22–12–2022 को भिवानी में किया गया जिसमें वर्ष 2022–23 के दौरान लगभग 23 लाख रूपये खर्च हुए।

पर्यटन

8.68 पर्यटन विभाग, हरियाणा ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के पर्यटन के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है। पर्यटन विभाग का मुख्य कार्य राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को

विकसित करना और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन विभाग, हरियाणा राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढावा देने और संचालित करने के लिए हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना की है। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा पूरे राज्य में राजमार्गों पर पक्षियों के नाम पर 43 पर्यटक स्थल चलाये जा रहे है, जोकि पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। हरियाणा पर्यटन के पास वर्तमान में 887 वातानुकूलित कमरें, 13 डौरमेटरी और 56 सम्मेलन केन्द्र/ समारोह/बहुउद्धेशीय हॉल हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा पर्यटन के पास 42 रेस्तरां, 5 फास्ट फूड केंद्र और 31 बार भी हैं। हरियाणा पर्यटन विभिन्न पर्यटक स्थलों पर 15 पैट्रोल पम्पों को भी चला रहा है। वित वर्ष 2022–23 में पर्यटन के विकास हेतु प्लान बजट में 125.07 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

कृष्णा सर्किट

8.69 कुरूक्षेत्र को मुख्य पर्यटन गंतव्य के रुप में विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने आधारभूत पर्यटन संरचना विकसित करने के लिए कृष्णा सर्किट के तहत चिन्हित किया है। तदानुसार इस परियोजना के अन्तर्गत ब्रहम्सरोवर, ज्योतिसर नरकतरी, सन्नहित सरोवर आदि स्थानों पर पर्यटन सम्बन्धित आधारभूत संरचना को विकसित किया जायेगा। स्वदेश दर्शन 1.0 योजना के तहत भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 77.87 करोड़ रूपये जारी किये हैं, जिसमें से 76.74 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

8.70 राज्य परिप्रेक्ष्य योजना के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत प्रस्तावित 5 स्थलों को पर्यटन मंत्रालय के साथ सांझा किया गया है। जिसमें से पयर्टन मंत्रालय ने राज्य संचालन समिति की बैठक में पंचकूला को प्रथम और महेन्द्रगढ को द्वितीय स्थान के रूप में प्रस्तावित किया है।

हैरिटेज सर्किट रिवाड़ी–महेन्द्रगढ़–माधोगढ़ नारनौल

8.71 महेन्द्रगढ किले, रानी महल, बावडी के बाहरी एवं आन्तरिक तथा माधोगढ किले को छोडकर किले के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए 29.61 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त वर्णित कार्यों का विकास प्रगति पर है।

प्रसाद स्कीम के तहत परियोजना

8.72 तीर्थ यात्रा एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) के अन्तर्गत 54.52 करोड़ रुपये की राशि से नाडा साहिब गुरूद्वारा, पंचकूला व माता मन्सा देवी मंदिर परियोजनायें प्रगति पर हैं। भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय ने इन परियोजनाओं के लिए 49.51 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से अब तक 28.77 करोड़ रूपये प्राप्त हो चुके हैं।

8.73 इस योजना के तहत आदिबद्री जिला यमुनानगर के विकास के लिए 52.32 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय, को भेजी गई है तथा मामला विचाराधीन है।

विशेष पर्यटन विकास योजना

8.74 गुरूग्राम और नूंह जिले में 10 हजार एकड विस्तृत भूमि के टुकडे पर एक विश्व स्तरीय अरावली सफारी पार्क विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। (2) फरीदाबाद में लगभग 18 होल गोल्फ कोर्स के नवीनीकरण और विकास का प्रस्ताव (3) राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने एयरो फेस्टिवल–दमदमा झील, होट एयर बैलून–टिक्कर ताल, पैरा सैलिंग और वाटर स्पोर्टस–मोरनी हिलस, जैसी कई साहसिक गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है व हथिनीकुंड और कौशल्या बांध में साहसिक खेल गतिविधियों के विकास की परिकल्पना करता है।

स्वर्ण जयन्ती सिन्धु दर्शन व मानसरोवर यात्रा

8.75 हरियाणा सरकार ने सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा हेतू 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति तीर्थ–यात्री, कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतू

50,000 रुपये प्रति व्यक्ति/तीर्थ यात्री और गुरु दर्शन योजना–2017 के लिए श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा (नान्देड साहिब), श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुण्ड साहिब तथा श्री पटना साहिब हेतू 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति/तीर्थ यात्री को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। यह राशि प्रत्येक यात्रा के लिए 50 व्यक्तियों/तीर्थ यात्रियों को प्रोत्साहन के रुप में दी जाएगी।

मेले और त्यौहार

8.76 सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, सूरजकुण्ड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा पर्यटन, कपडा, संस्कृति एवं विदेश मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। मेला 1987 में कुशल कारीगरों के पूल को बढावा देने के लिए शुरू किया गया था जो स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करते थे, लेकिन सस्ती मशीन निर्मित नकल के कारण पीडित थे। मेले को 2013 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया गया। 36वां अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुण्ड शिल्प मेला–2023, दिनांक 03 से 19 फरवरी, 2023 तक आयोजित किया जाना है। शंघाई सहयोग संगठन पार्टनर नेशन होगा और अपने कलाकार, कारीगरों और अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेगा। हर वर्ष विश्व प्रसिद्व यादवेन्द्रा गार्डन पिंजौर गार्डन में जुलाई के पहले सप्ताह के अन्त में "आम मेल" का वार्षिक आयोजन तथा प्रत्येक वर्ष के अक्तूबर माह में "विरासत महोत्सव" आयोजित किया जाता है।

फार्म टूरिजम स्कीम

8.77 हरियाणा के ग्रामीण इलाके में फार्म हाउस मालिकों की वितीय स्थिति में सुधार करने के लिए पर्यटन विभाग हरियाणा द्वारा फार्म टूरिजम स्कीम को चलाया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत पूरे राज्य में अब तक 35 फार्म हाऊस रजिस्टर्ड हुए है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

8.78 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सतत आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्व है। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संरक्षण के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं को निपटाने के लिये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम बोर्ड) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा अधिनियमिताओं में सुधार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न नियमों में सुधार किया गया और नोटिफिकेशन्ज जारी की गई तथा राज्य में जैविक चिकित्सा, ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट प्रभावी रूप से प्रयोग किये जा रहे है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग एक सुधार एजैंसी है जो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य को नियंत्रित करता है।

रेफरल लैबोरेटरी

8.79 सरकार द्वारा प्राप्त कानूनी नमूनों का विश्लेषण करने के लिए जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1981 के तहत रैफरल प्रयोगशाला की स्थापना की गई। विश्लेषक (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, के तहत प्राप्त 17 कानूनी नमूनों का विश्लेषण कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया गया।

विशेष पर्यावरण न्यायालय, फरीदाबाद तथा कुरूक्षेत्र

8.80 वर्तमान में दो विशेष पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में कार्य कर रहें हैं जो विभिन्न अधिनियमों अर्थात जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1981, भारतीय वन अधिनियम, पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986, वन्य जीवन

तालिका 8.15 –संस्थापित तथा निपटाये गये केसों का विवरण।

विशेष पर्यावरण न्यायालय निपटाये गये	2019–20		2020–21		2021–22		2022–23	
	संस्थापित	निपटाये गये	संस्थापित	निपटाये गये	संस्थापित	निपटाये गये	संस्थापित	निपटाये गये
फरीदाबाद	136	236	180	128	308	332	259	201
कुरूक्षेत्र	209	198	303	27	306	275	160	169

स्त्रोतः पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा।

अधिनियम एवं पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पी.एल.पी.ए.) के मामलों को देखते है। वर्ष 2022–23 में 315 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। केसों का विवरण **तालिका 8.15** में दर्शाया गया है।

स्वर्ण जयन्ती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

8.81 राज्य सरकार के पास आई.एम.टी. मानेसर, गुरूग्राम में स्वर्ण जयन्ती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान नामक प्रतिष्ठित परियोजना में से एक है जो वायु, जल, खतरनाक और ठोस अपशिष्ठ प्रदुषण जैसे औद्योगिक इकाईयों सहित समाज के सभी वर्गों में पर्यावरण संवेदनशीलता और ज्ञान को बढावा देती है। इसे राज्य सरकार द्वारा जिला गुरूग्राम में स्थित औद्योगिक इकाईयों के सहयोग से शुरू किया जाएगा।

पर्यावरण प्रशिक्षण, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम

8.82 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, विभिन्न पर्यावरणीय मुददों पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन एवं प्रशिक्षण आयोजित करके खतरनाक पर्यावरण प्रदुषण के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है। वर्ष 2022–23 के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त विभाग द्वारा 50 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है।

राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति

8.83 राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति अधिसूचना, 2006 के तहत श्रेणी–बी परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देने के लिए 21–02–2022 से 21–02–2025 तक 3 वर्षो के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था। यह समिति नई परियोजनाओं/विस्तारवादी गतिविधियों/वर्तमान परियोजनाओं के आधुनिकीकरण अथवा ऐसी गतिविधियां जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं पर कुछ प्रतिबन्ध और निषेध लगाने के लिए गठित की गई थी। समिति का जनादेश निर्माण से लेकर खनन और औद्योगिक गतिविधियों से लेकर विभिन्न श्रेणियों के तहत पर्यावरण मंजूरी की स्थिति की निगरानी करना है। पर्यावरण परियोजनाओं की अनुमति का विवरण **तालिका 8.16 में** दिया गया है।

तालिका 8.16– पर्यावरण परियोजनाओं की अनुमति

वर्ष	प्राप्त परियोजना	परियोजना निपटान
2021–22	139	189 (बैकलॉग प्रोजैक्ट सहित)
2022–23 (अक्टूबर, 2022 तक)	258	128

स्त्रोतः पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा।

जलवायु परिवर्तन सैल

8.84 एन.ए.पी.सी.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को विभिन्न सरकारी विभागों से परामर्श उपरान्त तैयार किया गया और जिसके लिए पर्यावरण विभाग नोडल एजैंसी है। राज्य संचालन समिति ने राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को पहले ही मन्जूरी दे दी है।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना का संशोधन (एस.ए.पी.सी.सी.)

8.85 जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, वन एंव जलवायु परिवर्तन द्वारा वांछित रूप में लक्षित राष्ट्रीय निर्धारित अशंदान (आई.एन.डी.सी.) के तहत किये गये प्रतिबद्वताओं के प्रकाश में संशोधन की प्रकिया अधीन है। एस.ए.पी.सी.सी. के संशोधन की प्रकिया शुरू की जा चुकी है। एस. ए.पी.सी.सी. के पुर्नरीक्षण का मामला जी.आई.

जैड. के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है। एस.ए.पी.सी.सी., हरियाणा में संशोधन के लिए 11–08–2021 को कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हरियाणा के विभिन्न विभागों प्रतिभागियों ने जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित चल रही गतिविधियों को सांझा किया और जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य की भेदता के आधार पर कृषि, वन और सम्बद्व क्षेत्रों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला।

राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण

8.86 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी आर्द्र भूमि (संरक्षण और प्रबन्धन) नियम, 2017 के दिशा–निर्देशों के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था ताकि उनके संरक्षण और प्रबन्धन द्वारा राज्य में आर्द्र भूमि की पहचान की जा सके।

एनविस

8.87 पर्यावरण, सूचना प्रणाली हब की स्थापना पर्यावरण से सम्बन्धित आकड़ों को एकत्रित करके प्रसारित करने हेतु की गई है। एनविस योजना जो पहले पर्यावरण जागरूकता, नीति, योजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के तहत थी, को अब पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास की संशोधन योजना में शामिल किया गया है तथा इसे वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक के लिए अनुमोदित किया गया है। संशोधित योजना के तीन घटक हैं अर्थात (1) पर्यावरण सूचना (2) जागरूकता क्षमता निर्माण और (3) आजीविका कार्यक्रम।

ईकों क्लबों की स्थापना

8.88 राज्य सरकार द्वारा राज्य के 22 जिलों में 5,250 इको क्लब स्कूल और 100 ईको क्लब कॉलेज स्थापित किये गये हैं। ये इको क्लब वृक्षारोपण की तरह राज्य भर में विभिन्न क्रियाकलाप कर रहे हैं, आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना आदि। वर्ष 2022–23 में 250 लाख रुपये की राशि विभाग को प्राप्त हुई है।

अपीलकर्ता प्राधिकारण

8.89 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा में अपीलकर्ता प्राधिकरण की स्थापना की गई है। सेवानिवृत न्यायाधीश अपीलकर्ता प्राधिकरण के अध्यक्ष है। अपीलकर्ता प्राधिकरण एच.एस.पी.सी.बी. से सम्बन्धित कानूनी मामलों से सम्बन्धित विवादों को हल करने के लिए कार्य कर रहा है। वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 63 मामलों (57 बैक लॉग और 6 संस्थागत मामले) में से 16 मामलों को निपटाया जा चुका है।

पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार

8.90 सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण (जल और वायु), प्राकृतिक संसाधनों के सरंक्षण, विभिन्न प्रकार के कचरे के प्रबन्धन, प्र्यावरण के मुददों एवं सम्बन्धित विषय पर आम जनता के मध्य जागरूकता लाने के कार्य में उत्कृष्ठता के लिए "प्रो. दर्शन लाल जैन" राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार में भाग लेने वाले पात्र वह डोमेन संगठन/संस्थान, सरकारी विभाग, व्यक्ति, गैर–सरकारी संगठन, स्कूल, कॉलेज और निजी संस्थाएं होंगे जिन्होनें प्र्यावरण संरक्षण में अनुकरणीय कार्य किया है। राज्य द्वारा प्रत्येक वर्ष चिन्हित विजेताओं को 3 लाख और 1 लाख के दो पुरस्कार दिये जायेंगे।

सहकारिता

8.91 वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सरकार ने सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही 27 राज्य योजनाओं (कल्याण एवं विकास योजनायें) के अन्तर्गत 1,17,861 लाख रूपये (द्वितीय अनुपूरक अनुदान सहित) एवं 7 एन.सी.डी.सी. प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 3,560 लाख रूपये का आबंटन किया है। आबंटित बजट एवं व्यय का वर्षवार विवरण **तालिका 8.17** में दिया गया है।

8.92 राज्य सरकार ने पिराई सीजन 2022–23 के लिए गन्ने की कीमत बढा कर 372 रुपये व 365 रुपये प्रति कि0 क्रमशः अगेती किस्मों और मध्यम एवं पछेती किस्मों के लिए निर्धारित की है। वर्तमान पिराई सीजन 2022–23 में दिनांक 08.02.2023 तक सभी सहकारी चीनी मिलों ने 791.32 करोड रुपये मूल्य के 212.76 लाख कि0 गन्ने की खरीद की, जिसके विरुद्व 433.84 करोड रुपये का भुगतान गन्ना किसानों को कर दिया गया है। पिराई सीजन 2021–22 की समस्त गन्ना राशि 1597.66 करोड का भुगतान सभी सहकारी चीनी मिलों ने राज्य सरकार द्वारा असुरक्षित ऋण के रुप में उपलब्ध करवाई गई 493.68 करोड़ रुपये की वित्तिय सहायता उपरान्त गन्ना किसानों को कर दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा चीनी मिलों को 78.92 करोड़ रुपये अनुदान राशि के रुप में प्रदान किए गए हैं। 08–02–2023 तक हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों द्वारा राज्य सरकार को 3,820.99 करोड़ रूपये देय है जोकि सरकार द्वारा बकाया गन्ने के भुगतान हेतु वर्ष 2007–08 से ऋण के रूप मे दिए गए।

राष्ट्रीय पुरस्कार

8.93 हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कार जीते है। पिराई सीजन 2020–21 के दौरान गन्ना विकास के लिए सहकारी चीनी मिल कैथल ने गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार एंवम तकनीकी दक्षता के लिए सहकारी चीनी मिल शाहबाद मिल ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। पिराई सीजन 2021–22 के लिए सहकारी चीनी मिल करनाल ने तकनीकी दक्षता के लिए प्रथम पुरस्कार और सहकारी चीनी मिल शाहबाद ने अधिकतम गन्ना पिराई के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किये है।

स्थापना, विस्तार एवं आधुनिकीकरण

8.94 जींद सहकारी चीनी मिल की पिराई क्षमता 1600 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 1750 टी.सी.डी. करने के प्रथम चरण का कार्य वर्ष 2020–21 के दौरान पूरा कर लिया गया है और दूसरे चरण में मिल की क्षमता 1750 टी.सी.डी से बढ़ाकर 2200 टी.सी.डी करने का कार्य उच्च शक्ति खरीद कमेटी की बैठक के निर्णय उपरांत किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 47.14 करोड़ रूपये है। कैथल और महम सहकारी चीनी मिलों की पिराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 3000 टी.सी. डी. करने का कार्य उच्च शक्ति खरीद कमेटी की बैठक के निर्णय उपरांत किया जाएगा। इस परियोजना की डी.पी.आर. व डी.एन.आई.टी तैयार हो चुकी है। इस परियोजना पर अनुमानित लागत 85.79 करोड़ रूपये (प्रति मिल) आएगी। पानीपत सहकारी चीनी मिल में 90 के.एल.पी.डी क्षमता के एथनाल प्लांट की स्थापना करने की मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है और इस परियोजना की अनुमानित लागत 150.64 करोड़ रूपये हैं। इस परियोजना की पर्यावरण मंजूरी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अभी पर्याप्त होनी है। पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होने के उपरान्त उच्च क्षमता खरीद कमेटी की बैठक में एजेण्डा रखने हेतू प्रस्ताव को आपूर्ति एंवम निपटान विभाग को विचार विमर्श एवंम अतिंम निर्णय के लिए भेजा जायेगा। सामूहिक आधार पर कैथल एवं जीन्द, रोहतक एवं महम, करनाल एंव असन्ध, सोनीपत एवं गोहाना तथा पलवल सहकारी चीनी मिलों में एथनाल प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने सैद्वांतिक रुप मे अनुमति प्रदान कर दी है। इसलिए सम्बन्धित सहकारी चीनी मिलों के प्रबन्ध निदेशकों का तुरन्त जरुरी कार्यवाही करने हेतू जैसे कि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने एंव भारत सरकार के पास निर्धारित समय सीमा में प्रार्थना पत्र भेजने के आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना

8.95 मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2022–23 के दौरान 30–09–2022 तक 41 करोड़ रूपये तक का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिनांक 30–09–2021 तक

सरकार से अनुदान के रूप में 3,708.76 लाख रूपये प्राप्त हुए हैं और यह अनुदान राशि दुग्ध संयत्रों को सहकारी दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में सीधे जारी करने के लिए दी गई है।

8.96 डेयरी संरचना विकास निधि योजना के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने जीन्द मिल्क प्लांट को 1,250 लाख रूपये और सिरसा मिल्क प्लांट को 572 लाख रूपये की मंजूरी दी है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 80 प्रतिशत उधार देगा और 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल करेगा। राज्य सरकार ने 2.5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान को मंजूरी दी है। अन्तिम कार्यान्वयन एजैंन्सी को ब्याज के रूप में केवल 4 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। आंगनवाडी केन्द्र के लिए पूरक पोषाहार योजना के तहत 1 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवति महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को फोर्टिफाईड स्वीटड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पावर की आपूर्ति की जा रही है। हरियाणा महिला एवं बाल विकास की आवश्यकतानुसार 10 अक्तूबर, 2022 तक 363.60 करोड रूपये की लागत से लगभग 12,125 मीट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है।

तालिका 8.14–राज्य योजनाओं के आबंटित बजट व व्यय का वर्षवार विवरण

(रूपये लाख में)

वर्ष	राज्य योजनाओं के आबंटित बजट	एन.सी.डी.सी. के तहत आंबटित बजट प्रायोजित योजनायें	कुल आबंटित बजट	कुल खर्च
2017–18	97805.11	837.00	98642.11	97432.98
2018–19	103718.67	1218.14	104936.81	98753.60
2019–20	139729.35	1468.00	141197.35	122680.80
2020–21	99857.05	265.00	100122.05	93761.58
2021–22	204029.22	2593.47	206622.69	128003.09

स्त्रोतः रजिस्ट्रार सहकारी समितिया विभाग, हरियाणा।

***